UPBN060006982022

न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०), बदायूँ।

उपस्थिति–राखी भदौरिया

Original Suit–476/2022

श्रीमती धनदेवी पत्नी नानकराम निवासी ग्राम नगला शिम्भू पुख्ता, परगना उसहैत, तहसील दातागंज व जिला बदायूँ।

–वादिनी

बनाम

श्रीमती राखी पत्नी ऋषिपाल निवासी ग्राम नगला शिम्भू पुख्ता, परगना उसहैत, तहसील दातागंज व जिला बदायूँ।

–प्रतिवादिनी

एकपक्षीय निर्णय

1– प्रस्तुत वाद वादिनी श्रीमती धनदेवी पत्नी नानकराम की ओर से वाद स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादिनी श्रीमती राखी प्रस्तुत किया गया है।

2– वादिनी का संक्षेप में कथन है कि आराजी स्थित ग्राम नगला शिम्भू पुख्ता, परगना उसहैत, तहसील दातागंज, जिला–बदायूँ खसरा संख्या– 239 रकवा 1.0230 हेक्टेअर जिसके पूरब– पन्नालाल, पश्चिम– वेदराम, उत्तर– चकरोड व दक्षिण– मोरपाल है, के एकमात्र मालिक, काबिज व भोगी वादिनी है। राजस्व अभिलेखों में भी उक्त आराजी की बाबत वादिनी के नाम का इन्द्राज है व वादिनी उक्त आराजी की वास्तविक स्वामी है। वर्तमान वाद में वादिनी के हक, स्वामित्व व कब्जे वाली इसी उपरोक्त वर्णित आराजी का विवाद है, जिसे सुविधा के लिये आगे वादपत्र में प्रश्नगत आराजी कहकर सम्बोधित किया जायेगा। उक्त वाद में वादिनी के अन्य सहखातेदार चूँकि बाहर आवासित हैं व वादिनी का उनसे कोई निजां भी नहीं है, इस कारण वर्तमान वाद बिना उनके हितों

पर प्रतिकूल असर डाले बिना योजित किया जाता है। वादिनी प्रश्गनत आराजी पर पुरसकून तरीके से काबिज है व हर प्रकार से अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग में ला रही है, वादिनी प्रश्गनत आराजी पर फसलें बोती व काटती हैं व इस समय भी प्रश्नगत आराजी में वादिनी की बोई हुयी गेहूं की फसल खड़ी है। वर्तमान वाद की प्रतिवादिनी बहुत ही हेकड़, दबंग व झगड़ालू प्रवृति की महिला है, उसका कोई हक, वास्ता या सरोकार वादिनी के हक, स्वामित्व व कब्जे वाली प्रश्नगत आराजी से नहीं है एवं न कभी पेश्तर रहा है। वर्तमान वाद की प्रतिवादिनी बिना किसी हक, अधिकार व स्वामित्व के प्रश्नगत आराजी से वादिनी को बेदखल कर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है इसी प्रकम में दिनांक 22–11–2022 को अचानक प्रतिवादिनी अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रश्नगत आराजी पर आये व वादिनी की खड़ी फसल को काटने का व प्रश्नगत आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे वादिनी ने वमुश्किल तमाम अपने परिवार वालों व अन्य ग्रामीणों के सहयोग से असफल कर दिया, परन्तु प्रतिवादिनी यह धमकी देकर गयी है, कि वह शीघ्ज्ञ ही ज्यादा इन्तजाम व आदमियों के साथ आकर प्रश्नगत आराजी से वादिनी को बेदखल करके कब्जा कर लेगें, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वादिनी ने प्रतिवादिनी से बहुत अनुनय विनय की, कि वे बिना किसी हक, अधिकार व स्वामित्व के वादिनी के हक, अधिकार व स्वामित्व प्रश्गनत आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने, खड़ी फसल को खुर्द बुर्द करने अथवा अन्य किसी भी रूप में वादिनी के प्रश्गनत आराजी पर शान्तीपूर्ण अध्यासन में दखलंदाजी करने से बाज रहें, परन्तु वे सुनवा नहीं हो रही है व उन्होंने दिनांक 23–1–2022 को अन्तिम रूप से वादिनी की वात को मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। अतः वाद की आवश्यकता हुयी। वाद का कारण सर्वप्रथम दिनांक 22–11–2022 को अचानक प्रतिवादिनी द्वारा अपने परिवार वालों के साथ आकर प्रश्गनत आराजी पर कब्जा करने के असफल प्रयास करने, वादहू दिनांक 23–11–2022 को प्रतिवादनी द्वारा अन्तिम रूप से प्रश्नगत आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने, खड़ी फसल को खुर्द बुर्द करने से बाज रहने से अन्तिम रूप से इन्कार करने से उत्पन्न हुआ। वाद का कारण, निवास स्थान फरीकैन व प्रश्गनत आराजी मान्य न्यायालय की सीमा क्षेत्राधिकार में स्थित है, इस कारण मान्य न्यायालय को वर्तमान वाद को सुनने व निर्णीत करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन वास्ते निर्णयार्थ व शुल्कार्थ प्रश्गनत आराजी व उसमें खड़ी फसल की तखमीना कीमत अंकन 4,00,000/– रूपये पर कायम करके अनुतोष– अ हेतु अधिकतम निर्धारित न्यायशुल्क अंकन 500/–रूपये अदा किया जाता है। वादिनी प्रार्थी है कि बजरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री द्वारा प्रतिवादनी, उनके परिजनों, एजेन्टों को सदैव के लिये निषेधित किया जावे, कि वेवादिनी के हक, स्वामित्व व कब्जे वाली प्रश्नगत आराजी जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र की मद संख्या 1 में दिया गया है, पर जबरदस्ती कब्जा करके वादिनी को बेदखल करने, खड़ी फसल को खुर्द बुर्द करने अन्यथा अन्य किसी भी रूप में वादिनी के शान्तीपूर्ण अध्यासन में दखलंदाजी करने से बाज रहें। दीगर दादरसी जो मुफीदवादिनी हो खिलाफ प्रतिवादिनी सादिर फरमायी जावे। खर्चा मुकद्मा वादिनी को प्रतिवादिनी से दिलाया जावे।

3– वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में फर्द सूची 8 ग से कम्प्यूटराइज इन्तखाव खतौनी खसरा नं०–9 ग, छायाप्रति खसरा 10 ग, किसान क्रेडिट कार्ड 11 ग, दो किता फोटो 12 ग, रिपोर्ट कमीशन 17 ग दाखिल किया गया है। बादीगण द्वारा मौखिक साध्य के रूप में पी. डब्लू– । के रूप में स्वयं श्रीमती धनदेवी का मुख्य परीक्षा जरिये साक्ष्य शपथ पत्र 21 क, पी. डब्लू –2 के रूप में झब्बू दास का मुख्य परीक्षा जरिए साक्ष्य शपथ पत्र 22 क व पी. डब्लू –3 के रूप में जंग बहादुर का मुख्य परीक्षा जरिए साक्ष्य शपथ पत्र 23 क, दाखिल कर न्यायालय समक्ष परीक्षित कराया गया है।

4– दिनांक 16–01–2023 को पत्रावली में डब्लू एस/इश्यू हेतु दिनांक 17–02–2023 नियत की गयी तथा प्रतिवादिनी पर सम्मन की तामील व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त मानी गयी। तत्पश्चात इस हेतु निरंतर दिनांक नियत की गयी। प्रतिवादिनी के उपस्थित न होने पर दिनांक 12–12–2023 को प्रतिवादिनी का डब्लू. एस. दाखिल करने का अवसर समाप्त किया गया और एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गई। पत्रावली में दिनांक 23–01–2024 एकपक्षीय साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

5– सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के सम्यक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिनी द्वारा यह वाद प्रतिवादिनी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दायर किया गया है व कथन किया गया है कि विवादित संपत्ति पर कब्जा करके वादिनी को बेदखल करने, खड़ी फसल को खुर्द बुर्द करने अन्यथा अन्य किसी भी रूप में वादिनी के शान्तिपूर्ण अध्यासन में दखलंदाजी करने से बाज रहें।

6– **Maya Devi vs. Lalta Prasad AIR 2014 S.C. 1356** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि वादिनी के पक्ष में कोई एकपक्षीय निर्णय मात्र इस आधार पर पारित नहीं किया जा सकता कि प्रतिवादिनी उपस्थित नहीं हुआ है और कोई प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं किया है। अपने दावे की सफलता के लिए वादिनी को अपना केस साबित करना ही होगा। वादिनी को वादपत्र के अभिकथनों को साबित करना होगा। वादिनी वादपत्र के अभिकथनों को साबित करने में सफल रहा। इस सम्बन्ध में अपना पूर्ण समाधान/संतुष्टि होने पर ही न्यायालय द्वारा वादिनी के पक्ष में अनुतोष दिया जा सकता है। कोई भी अनुतोष प्रदान करने से पूर्व न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि वादपत्र के कथनों को पूरी तरह साबित किया गया है। मात्र इस आधार पर कि प्रतिवादिनी उपस्थित नहीं हुआ है और उसके द्वारा प्रतिवादिनी पत्र दाखिल नहीं किया गया है। वादिनी के पक्ष में स्वतः डिक्री पारित नहीं की जा सकती।

7– वादिनी द्वारा स्वयं अपने वाद पत्र व साक्ष्य शपथ पत्र में कथन किया कि वादिनी के उक्त विवादित संपत्ति पर सहखातेदार है, और वादी द्वारा विवादित संपत्ति पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि विवादित संपत्ति में वादिनी कितने भाग की स्वामिनी है।

8– अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादिनी विवादित संपत्ति पर अपना एकाकी स्वामित्व व कब्जा दखल साबित करने में असफल रहा है। अतः वादिनी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादिनी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियामानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–12.08.2024

(राखी भदौरिया)

सिविल जज (जू0.डि०)

बदायूँ

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षारित एंव दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–12.08.2024

(राखी भदौरिया)

सिविल जज (जू0.डि०)

बदायूँ

RAKHI BHADORIA

Digitally signed by RAKHI BHADORIA
Date: 2024.08.12 15:11:01 +05'30'